



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016-कार्तिक 6, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

अधिसूचना

जबलपुर, दिनांक 14 अक्टूबर, 2016

क्रमांक-04-02/195/यो.रुपा./2886.—यह कि केंद्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड. के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीएम्ड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकरणों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकरणों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 व 132 किलोवोल्ट पारेषण लाइनों एवं संबंधित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:-

- (1) नाम : ये परियोजनायें 220 व 132 किलोवोल्ट (के. व्ही.) लाइनों व संबंधित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी।
- (2) परियोजनाओं का विवरण : परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लंबाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:-

(I) 220 के. व्ही. कार्य:

(i) 220 के. व्ही. पारेषण लाइनें :-

1. 220 के. व्ही. डीसीडीएस बरसइता देश-पीजीसीआईएल लाइन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1.5 कि.मी., अनुमानित लागत-242 लाख रु.

2. 220 के. व्ही. डीसीडीएस बदवार-पीजीसीआईएल लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-3.0 कि.मी., अनुमानित लागत-441 लाख रु.
3. 220 के. व्ही. डीसीडीएस रामनगर पहाड़-पीजीसीआईएल लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-3.5 कि.मी., अनुमानित लागत-509 लाख रु.
4. 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन एनटीपीसी सोलर पार्क, ग्राम गूजरखेड़ी (सुवासरा)-मन्दसौर 400 के.व्ही. उपकेन्द्र का निर्माण कार्य, लम्बाई-55 कि.मी., अनुमानित लागत-6227 लाख रु.

(ii) 220 के. व्ही. नये उपकेन्द्र की स्थापना :-

1. बरसइता देश (जिला-रीवा) में 3×100 एमवीए क्षमता के नये 220/33 केवी पूलिंग उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-6718.31 लाख रु.
2. बदवार (जिला-रीवा) में 3×100 एमवीए क्षमता के नये 220/33 केवी पूलिंग उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-6718.31 लाख रु.
3. रामनगर पहाड़ (जिला-रीवा) में 3×100 एमवीए क्षमता के नये 220/33 केवी पूलिंग उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-6669.34 लाख रु.
4. गूजरखेड़ी (जिला-सुवासरा) में 3×100 एमवीए क्षमता के नये 220/33 केवी पूलिंग उपकेन्द्र की स्थापना, अनुमानित लागत-6637.52 लाख रु.
5. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र पिछोर का उन्नयन कर 1×160 एमवीए क्षमता के नये 220 के. व्ही. उपकेन्द्र पिछोर की स्थापना एवं 132 के. व्ही. उपकेन्द्र पिछोर में 220 के. व्ही. लाईन का संशोधन कार्य, अनुमानित लागत-1960.00 लाख रु.

(iii) अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना :-

1. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र दतिया (जिला-दतिया) में 160 एमवीए क्षमता के 1 नम्बर अतिरिक्त पॉवर ट्रांसफार्मर की स्थापना, अनुमानित लागत-1450.00 लाख रु.

(iv) क्षमता वृद्धि :-

1. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र सारणी (जिला-इटारसी) में 100 एमवीए क्षमता के 220/132 ट्रांसफार्मर के स्थान पर 160 एमवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर की स्थापना कर उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि, अनुमानित लागत-1250.00 लाख रु.

(v) 220 के. व्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य :-

मन्दसौर 400 (2), कुल 2 नम्बर अनुमानित लागत 594.10 लाख रु.

(II) 132 के. व्ही. के कार्य:

(i) 132 के. व्ही. पारेषण लाईने :-

1. किरनापुर 400-वारासिवनी 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-55 कि.मी., अनुमानित लागत-4187.00 लाख रु.
2. हटा-बिजावर 132 के. व्ही. लाईन का 132 के.व्ही. उपकेन्द्र बिट्यागढ़ में लीलो कार्य, लम्बाई-10 कि.मी., अनुमानित लागत-1033.00 लाख रु.
3. हटा-बिजावर 132 के. व्ही. एस/सी लाईन के कण्डकर को उच्च क्षमता में बदलने का कार्य, लम्बाई-60 कि.मी., अनुमानित लागत-2338.00 लाख रु.

(ii) 132 के.व्ही. फीडर बे का निर्माण कार्य :-

बिट्यागढ़ (2), किरनापुर 400 (2), वारासिवनी (2), कुल 6 नम्बर अनुमानित लागत 719.00 लाख रु.

(III) उपभोक्ता सहभागिता कार्य :-

1. जल संसाधन विभाग द्वारा बिरमपुरा पंपिंग स्टेशन ग्राम बिरमपुरा, जिला-राजगढ़ को विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के.व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ से पंपिंग स्टेशन बिरमपुरा तक 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1x8.1 कि.मी., अनुमानित लागत-632.82 लाख रु.

2. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र बडोड से मेसर्स राजकोट (गुजरात) सोलर ऐर्जनी प्राइवेट लिमिटेड के ग्राम किशनकोट, तहसील बडोड, जिला आगर में प्रस्तावित 43 मेगावॉट सौर ऊर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1x4 कि.मी., अनुमानित लागत-320.00 लाख रु.
3. मेसर्स गेल इंडिया विजयपुर, जिला गुना द्वारा तालाब निर्माण के फलस्वरूप 132 के.व्ही. एस. सी. गेल इंडिया टेप लाईन का संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1x0.405 कि.मी., अनुमानित लागत-25.15 लाख रु.
4. भोपाल विकास प्राधिकरण के मिसरौद, फेस-1, फेस-2 में विद्युतीकरण हेतु 132 के.व्ही. उपकेन्द्र महाबड़िया से प्रस्तावित 132 के.व्ही. उपकेन्द्र सलैया भोपाल तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1x1 कि.मी., अनुमानित लागत-954.00 लाख रु.
5. रा. रा.-लोक निर्माण विभाग द्वारा नई निर्मित कुरुई बायपास रोड के कारण 132 के.व्ही. एस. सी. बीना-सागर लाईन की ऊँचाई बढ़ाने हेतु लो. क्रमांक 58 से 61 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य लम्बाई-1x1 कि.मी., अनुमानित लागत-31.66 लाख रु.
6. रा. रा.-लोक निर्माण विभाग द्वारा नई निर्मित कुरुई बायपास रोड के कारण 132 के.व्ही. एस. सी. बीना-सागर लाईन की ऊँचाई बढ़ाने हेतु लो. क्रमांक 71 से 74 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1x1.00 कि.मी., अनुमानित लागत-33.78 लाख रु.
7. 220 के.व्ही. उपकेन्द्र नीमच से मेसर्स आईनॉक्स विन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड के, जिला नीमच में प्रस्तावित 100 मेगावॉट पवन ऊर्जा विद्युत गृह तक 220 के.व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लम्बाई-1x24.4 कि.मी., अनुमानित लागत-3161.00 लाख रु.
8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कटनी द्वारा रा. रा.-7 के रीवा-जबलपुर खण्ड में 4/6 लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. मैहर-मैहर सीमेंट लाईन के लो. क्रमांक. 1 से 3 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-1x0.41 कि.मी. अनुमानित लागत-41.18 लाख रु.
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कटनी द्वारा रा. रा.-7 के रीवा-जबलपुर खण्ड में 4/6 लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. मैहर (220)-अमरपाटन लाईन के लो. क्रमांक गेन्ट्री से 2 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2x0.31 कि.मी. अनुमानित लागत-42.36 लाख रु.
10. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कटनी द्वारा रा. रा.-7 के रीवा-जबलपुर खण्ड में 4/6 लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. अमरपाटन-बाणसागर (पी.एच.-IV) लाईन के लो. क्रमांक 6 से 8 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2x1.71 कि.मी. अनुमानित लागत-41.75 लाख रु.
11. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कटनी द्वारा रा. रा.-7 के रीवा-जबलपुर खण्ड में 4/6 लेन मार्ग के निर्माण के फलस्वरूप 220 के. व्ही. सतना-रीवा/बिरसिंगपुर लाईन के लो. क्रमांक 138 से 139 के मध्य संशोधन/विस्थापन कार्य, लम्बाई-2x1.5 कि.मी. अनुमानित लागत-65.00 लाख रु.
12. जल संसाधन विभान द्वारा ग्राम रोजिया जिला राजगढ़ में प्रस्तावित पम्पिंग स्टेशन को 220 के. व्ही. विद्युत उपकेन्द्र राजगढ़ (ब्यावरा) से 132 के. व्ही. विद्युत आपूर्ति हेतु प्रस्तावित 132 के. व्ही. डीसीएसएस राजगढ़ बिरमपुरा पम्पिंग स्टेशन लाईन पर द्वितीय परिपथ एवं इसके आगे पम्पिंग स्टेशन रोजिया तक नवीन 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य लम्बाई-1x7.5 (द्वितीय परिपथ) 1x7.6 (नवीन) कि.मी. अनुमानित लागत-490.00 लाख रु.

(III) कुल अनुमानित लागत:

उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत रु. 535 करोड़. है।

(3) टावर, खंभे, तार आदि लगाने का अधिकार:

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये अनुज्ञापिताधिकारियों का संकर्म नियम 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी। विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खंभे, तार, दीवार ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनयम 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रखरखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के संबंध में प्राप्त हैं।

(4) एतद्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

एम. के. नुहारिया,
मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स),
मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,
शक्ति भवन, रामपुर-जबलपुर.

(452-बी.)

नाम परिवर्तन

शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मैं, अभिषेक मलिक पुत्र स्व. ओम प्रकाश मलिक एवं माता स्व. सुनीता मलिक मेरे माता-पिता का सही नाम है। माता जी की मृत्यु के उपरांत में अपने चाचा लक्ष्मीनारायण मलिक, चाची गीता मलिक के साथ रहने लगा जिससे भूलवश मेरे सही माता-पिता के स्थान पर चाचा-चाची का नाम दस्वीं एवं बारहवीं की अंकसूची में दर्ज हो गया है जो कि गलत है, जिसे सुधारकर सही नाम पिता स्व. ओमप्रकाश मलिक एवं माता स्व. सुनीता मलिक लिखा एवं पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(अभिषेक मलिक)

पिता-लक्ष्मीनारायण मलिक,
माता-गीता मलिक.

नया नाम :

(अभिषेक मलिक)

पिता-स्व. ओमप्रकाश मलिक,
माता-स्व. सुनीता मलिक,
निवासी-म. न. 200, शा. कन्या उ. मा. शाला,
ब्यौहारबाग, नमक कोठी, जबलपुर.

(440-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, शेख मुस्ताक (SHEIKH MUSTAKH) पिता-शेख एहसान, निवासी-वार्ड नं. 17, समीप दुर्गा चौक, भंडारिया रोड, परसिया, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश यह घोषणा करता हूँ कि मेरे पासपोर्ट में मेरा नाम शेख मुस्ताक कुरैशी (SHEIKH MUSTAK QURESHI) दर्ज है को बदलकर अपना नया नाम शेख मुस्ताक (SHEIKH MUSTAKH) पिता शेख एहसान (SHEIKH AHSAN) कर रहा हूँ। अतः आज दिनांक 24-08-2016 से मुझे मेरे नये नाम शेख मुस्ताक (SHEIKH MUSTAKH) पिता शेख एहसान (SHEIKH AHSAN) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(शेख मुस्ताक कुरैशी)

(SHEIKH MUSTAK QURESHI)

नया नाम :

(शेख मुस्ताक)

(SHEIKH MUSTAKH)

पता-वार्ड नं. 17, समीप दुर्गा चौक,
भंडारिया रोड, परसिया, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(441-बी.)

CHANGE OF NAME

I, declare that before marriage my name was CHHANDASI BASUMATARY, after marriage I have change it to CHANDRA BASUMATARY MANDAL. Now my name would be known and written as CHANDRA BASUMATARY MANDAL for all purpose.

Old Name:

(CHHANDASI BASUMATARY)

New Name :

(CHANDRA BASUMATARY MANDAL)

W/o-Rudra Kumar Mandal,

F. No. 13, Type 3, Sport Authority of India,
Suraj Nagar, Bhopal (M.P.).

(442-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह के पूर्व नाम मीना लालवानी पिता श्री ताराचंद लालवानी था। मेरा विवाह श्री अमर आहुजा, निवासी-95, कमला नेहरू नगर, किला मैदान रोड, इंदौर से दिनांक 04-01-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज अनुसार होने से अब मैं, श्रीमती काव्या आहुजा पति श्री अमर आहुजा के नाम से जानी व पहचानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

(मीना लालवानी)

पिता-श्री ताराचंद लालवानी।

(443-बी.)

नया नाम :

(काव्या आहुजा)

पति श्री अमर आहुजा,

पता-95, कमला नेहरू नगर,

किला मैदान रोड, इंदौर।

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम अभिलाषा श्रीवास्तव था जो दिनांक 17-01-2003 से परिवर्तित होकर प्रांजल श्रीवास्तव हो गया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना/पढ़ा जाये।

पुराना नाम :

(अभिलाषा श्रीवास्तव)

(450-बी.)

नया नाम :

(प्रांजल श्रीवास्तव)

पता-जे. एस. 43, फेज-4,

इंडस टाउन, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम शंकर लाल सोनया है जो कि मेरे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, सर्विस रिकार्ड, निवार्चन परिचय-पत्र, पेन कार्ड में दर्ज है त्रुटिवश मेरी हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा वर्ष 1981 की अंकसूची में मेरा नाम शंकर लाल दर्ज हो गया है। मेरे सर्विस रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज शंकर लाल सोनया एवं अंकसूची में दर्ज शंकर लाल दोनों मेरे ही नाम हैं, भविष्य में मुझे शंकर लाल सोनया के नाम से लिखा-पढ़ा एवं जाना जावे।

पुराना नाम :

(शंकर लाल)

(449-बी.)

नया नाम :

(शंकर लाल सोनया)

निवासी-49-ए, बी-सेक्टर खजूरी कला,

भोपाल (मध्यप्रदेश)।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम पूर्व में परम सेठी था जो अब बदलकर रेयांश सेठी हो गया है।

अतः अब से मेरे पुत्र को इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

(448-बी.)

भावेश सेठी,

पिता-स्व. श्री मेलाराम सेठी,

50-ए, आनन्द नगर, 201 मालव अपार्टमेंट,

सपना-संगीता सिनेमा के पीछे, इंदौर।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम पूर्व में विष्णु पाटीदार पिता नंदराम पाटीदार था। अब मैंने अपना नाम बदलकर विशाखा पाटीदार पिता नंदराम पाटीदार कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे तथा मुझसे संबंधित समस्त दस्तावेजों में विशाखा पाटीदार पिता नंदराम पाटीदार के नाम से जाना तथा पहचाना जाए।

पुराना नाम :

(विष्णु पाटीदार)

(447-बी.)

नया नाम :

(विशाखा पाटीदार)

पिता-नंदराम पाटीदार,

निवासी-ग्राम कडोदकला, तहसील बदनावर,

जिला धार।

CHANGE OF NAME

I, NASIM KHAN changed my name to MARIYAMMA KHAN and now I would be known as MARIYAMMA KHAN.

Old Name:

(NASIM KHAN)

New Name :

(MARIYAMMA KHAN)

Add. :- 37, Ali Nagar Khajrana,
Indore (M.P.).

(446-B.)

CHANGE OF NAME

I, SHAILAJA CHAUDHARI here by declare that I have change my name as Neha Jathar. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name:

(SHAILAJA CHAUDHARI)

New Name :

(NEHA JATHAR)

Add. :- Flat No. 603, PPD, Dream City,
Talawali Chanda, Indore (M.P.).

(445-B.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पहले मेरा नाम ममता करमरकर पुत्री स्व. श्री दत्तात्रेय केशव करमरकर था। शादी के बाद मैंने अपना नाम दीप्ति भालेराव पत्नी श्री दिलीप रामचंद्र भालेराव, निवासी-क्वाटर 16, जीवाजीगंज मुल्ला जी की सराय, लश्कर, ग्वालियर लिखती हूँ। मेरे शासकीय दस्तावेजों एवं नियोक्ता के यहाँ आदि में मेरा नाम दीप्ति भालेराव है, जो कि सही है। अब मुझे दीप्ति भालेराव के नाम से ही जानी जाती हूँ।

पुराना नाम :

(ममता करमरकर)

नया नाम :

(दीप्ति भालेराव)

निवासी-क्वाटर 16; जीवाजीगंज मुल्ला जी की सराय,
लश्कर, ग्वालियर।

(453-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ पद्मा कंस्ट्रक्शन जिसका पता-16, सराफा बाजार, जबलपुर मध्यप्रदेश एवं पंजीयन क्रमांक 04/14/01/00017/05, वर्ष 2005-2006, दिनांक 06-05-2005 पंजीयन फर्म है, जिसमें दिनांक 06-05-2016 से लग्न घनघौरिया पुत्र शिवलाल घनघौरिया, निवासी 349, खटिक मोहल्ला, सराफा वार्ड, जबलपुर मध्यप्रदेश नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन व सर्वजन सूचित हों।

दीपक चौबे,
(एडवोकेट),

म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.).

(444-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स वरदान इन्टरप्राइजेज, स्थित द्वितीय फ्लोर सी-6, सूर्या टावर, नियर ओल्ड हाईकोर्ट, ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र. 02/42/01/00254/13, दिनांक 05-02-2013 है। जिसमें दिनांक 06-07-2016 को भागीदार श्री राजकुमार कुकरेजा पुत्र श्री एल. सी. कुकरेजा, निवासी डी-14, गोविन्दपुरी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से श्रीमती प्रिया श्रीवास्तव पत्नि श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव, निवासी डी-2, हरीशंकरपुर, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रही हैं। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

मैसर्स वरदान इन्टरप्राइजेज,
बृजेश कुमार श्रीवास्तव,
(भागीदार)।

(451-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, भीकनगाँव, जिला खरगौन म.प्र.

रा. प्र. क्र. 115-बी-121/2015-16.

दिनांक 27 सितम्बर, 2016

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्र. 30-1951) की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स-1962 के नियम-5 (1) के अंतर्गत] समक्ष-पंजीयक लोक न्याय-भीकनगाँव.

चूँकि प्रार्थी श्रीराम मंदिर ट्रस्ट दौड़वा, मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्र. 30-1951) की धारा-4 के अन्तर्गत पंजीयक कराने हेतु एक आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा विचार किया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति से संबंधित में हित खाता हो और कोई आपत्ति या सलाह पेश करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में लिखित में पेश करें तथा मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने अधिभाषक अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रहें। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(अचल सम्पत्ति व चल सम्पत्ति का व्यौरा)

अचल सम्पत्ति

1. ग्राम दौड़वा, तहसील भीकनगाँव, जिला खरगौन स्थित आबादी गॉवठान की बिना लगानी पड़त तबा भूमि जिसकी लम्बाई पूर्व-पश्चिम 100 फीट तथा चौड़ाई उत्तर-दक्षिण 22 फीट है। इस भूखण्ड के दक्षिण-पश्चिम में इससे लगत उत्तर-दक्षिण 25 फीट एवं पूर्व-पश्चिम 16 फीट का एक भूखण्ड है। इस भूखण्ड सहित दोनों भूखण्डों का कुल क्षेत्रफल 2600 वर्गफीट है। जिसकी चतुर्सीमा-
 2. दौड़वा में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की जमीन पूर्व में आम रास्ता एवं अमलोक लाड़ का मकान, पश्चिम में दन्तु का बाड़ा, उत्तर में कैलाशचन्द्र राठौर का मकान, दक्षिण में 16 फीट की गली एवं अमलोक लाड़ का मकान।
- नोट- इस भूमि के पैकि भाग पर श्रीराम मंदिर बना हुआ है। जिसमें श्रीराम, लक्ष्मण, माता सीता एवं श्री हनुमानजी की 5-5 फीट ऊँची संगमरमर की प्रतिमा है साथ ही भगवान श्री कृष्ण की पीतल की दो किलो वजनी प्रतिमा है।

चल सम्पत्ति का विवरण।-

1. बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा दौड़वा में बचत खाता है जिसमें लगभग एक लाख रुपये जमा हैं।

एस. पी. सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(753)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा

रा.प्र. क्र.01/बी-113 (1)/2016-17.

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का तीसवां संशोधन की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक जे. पी. सिंह अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता छिन्दवाड़ा मंदिर ट्रस्ट सिमरियाकला, जिला छिन्दवाड़ा द्वारा ट्रस्टीगण श्रीमति अल्का नाथ पति कमलनाथ, नकुलनाथ पिता कमलनाथ, बकुलनाथ पिता कमलनाथ, श्रीमति सिमरन नाथ पति बकुलनाथ की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास के पंजीयन हेतु अधिनियम की धारा-4 के अधीन लोक न्यास के पंजीयन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जो भी व्यक्ति इस न्यास के संबंध में या सम्पत्ति के बारे में हित रखता हो या जो भी प्रकरण में आपत्ति तथा अपने सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं, वह दो प्रति में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन से 30 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष स्वयं या अपने अधिकृत अधिकर्ता/अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, उपरोक्त अवधि के पश्चात की गई आपत्ति या सुझाव आदि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

न्यास का नाम और पता : छिन्दवाड़ा मंदिर ट्रस्ट छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण : चल सम्पत्ति-निरंक.

अचल सम्पत्ति का विवरण

संक्र.	ग्राम का नाम	ब. नं./प. ह. नं.	तहसील का नाम	ख. नं.	रकमा	भूमिस्वामी का नाम
1.	सिमरियाकला	562/49	मोहखेड	68/4, 68/5, 68/6, 68/8, 68/9, 68/11,	0.010, 0.027, 0.809, 0.750, 0.014,	संतकृष्णा पब्लिक चैरीटेबल की ओर से नरेश कुमार पिता मातुराम कुमारत.
				योग ..	1.610	
2.	सिमरियाकला	562/49	मोहखेड	68/10,	0.258,	अल्कानाथ पति कमलनाथ मंदिर ट्रस्ट की ट्रस्टी के द्वारा नियुक्त जयप्रकाश सिंग पिता लालचंद सिंग निवासी छिन्दवाड़ा
				योग ..	0.258	

आज दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी.

डॉ. एन. सिंह,

अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(754)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, भोपाल

क्र./1 बी-113/16-17.

भोपाल, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अंतर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

आवेदक न्यासी आर. एस. अग्रवाल, मुख्य ट्रस्टी (अध्यक्ष) जनसंवेदना कल्याण ट्रस्ट, पंजाबी बाग, भोपाल ने उपस्थित होकर जनसंवेदना कल्याण ट्रस्ट, जिला भोपाल के मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

2. एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता : जनसंवेदना कल्याण ट्रस्ट, जिला भोपाल.

कार्यालय का पता : एफ 8/2, पंजाबी बाग, अशोका गार्डन, भोपाल.

अचल सम्पत्ति : निरंक.

चल सम्पत्ति : रुपये 11,000/-

प्रदीप कुमार शर्मा,
रजिस्ट्रार.

(759)

अन्य सूचनाएं
कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	म. दुर्घ उत्पादक सह. समिति मर्या., रमठान, पो. बागोद.	1346/28-06-2003	बडवाह	832/29-06-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.
2.	दुर्घ उत्पादक सह. समिति मर्या., ओखला, पो. काटकुट.	1363/16-02-2004	बडवाह	832/29-06-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.
3.	दुर्घ उत्पादक सह. समिति मर्या., कतरगांव.	1366/16-02-2004	बडवाह	832/29-06-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.
4.	दुर्घ उत्पादक सह. समिति मर्या., भेरुखेड़ा, पो. काटकुट.	1401/17-12-2004	बडवाह	832/29-06-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.
5.	दुर्घ उत्पादक सह. समिति मर्या., टांडा, पो. थरवर.	1420/05-05-2005	बडवाह	832/29-06-2016	श्री भूषण जडे, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से "डी" वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	आदर्श महिला साख सह. संस्था मर्या., भीकनगाँव.		भीकनगाँव	896/12-07-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756-A)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	बालाजी प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भीकनगाँव.	1554/20-08-2008	भीकनगाँव	832/29-06-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.
2.	जनता प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., भीकनगाँव.	1556/07-10-2008	भीकनगाँव	832/29-06-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.
3.	जय दुर्ग उद्वान सिंचाई सह. संस्था सेल्डा.	603/03-12-1983	भीकनगाँव	832/29-06-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.
4.	नागराज आदि. मत्स्य सह. संस्था मर्या., चौड़ी.	1424/10-06-2005	भीकनगाँव	874/02-07-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.
5.	जय भोले मत्स्य उद्योग सह. संस्था मर्या., सिराली.	1471/03-12-2005	भीकनगाँव	874/02-07-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.
6.	संजीवनी साख सह. संस्था मर्या., खरगौन.		खरगौन	896/12-07-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756-B)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	मॉ नर्मदा मिर्च क्रय-विक्रय व प्रक्रिया सह. सं. सनावद.	1534/21-09-2007	सनावद	874/02-07-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.
2.	मॉ नर्मदा काम. करी. सह. संस्था बडवाह.	1382/01-07-2004	बडवाह	874/02-07-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.
3.	मेकल कन्या म. बहु. सह. संस्था मर्या., बावडीखेडा.	1586/08-12-2009	बडवाह	874/02-07-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.
4.	जय अम्बे म. बहु. सह. संस्था मर्या., तमोलिया.	1599/23-09-2010	सनावद	874/02-07-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.
5.	नव दुर्गा म. बहु. सह. संस्था मर्या., कटघडा.	1602/03-11-2010	बडवाह	874/02-07-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.
6.	शिव शक्ति महिला बहु. सह. संस्था मर्या., सिरलाय.	1644/17-05-2012	बडवाह	874/02-07-2016	श्री मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756-C)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	पूजा प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या. महेश्वर.	1577/28-07-2009	महेश्वर	832/29-06-2016	श्री सोहनसिंह चौहान, सहकारी निरीक्षक.
2.	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., बड़दिया सुरता.	1315/15-01-2002	महेश्वर	832/29-06-2016	श्री सोहनसिंह चौहान, सहकारी निरीक्षक.
3.	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., चिराखाना.	1318/26-03-2002	महेश्वर	832/29-06-2016	श्री सोहनसिंह चौहान, सहकारी निरीक्षक.
4.	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., मोगांवा.	1453/21-10-2005	महेश्वर	832/29-06-2016	श्री सोहनसिंह चौहान, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756-D)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., समराज.	1454/21-10-2005	महेश्वर	874/02-07-2016	श्री राजेन्द्र कुमार रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
2.	मण्डलेश्वर सह. कृषि उपज संस्था मर्या., मण्डलेश्वर.	1239/31-12-1999	महेश्वर	874/02-07-2016	श्री राजेन्द्र कुमार रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
3.	मौ पार्वती काम. कारी. सह. संस्था मर्या., बहेगांव.	1190/03-11-1998	महेश्वर	874/02-07-2016	श्री राजेन्द्र कुमार रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
4.	बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था मर्या., नवलपुरा.	1673/21-11-2012	महेश्वर	896/12-07-2016	श्री राजेन्द्र कुमार रोमडे, सहकारी निरीक्षक.
5.	श्री सर्वे बालाजी प्राथ. सह. भण्डार मर्या., महेश्वर.	1627/24-01-2012	महेश्वर	896/12-07-2016	श्री राजेन्द्र कुमार रोमडे, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756-E)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ:

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	सनावद म. प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., सनावद.	1229/28-07-1999	सनावद	891/11-07-2016	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
2.	नवदुर्गा प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., सनावद.	1616/11-08-2011	सनावद	832/29-06-2016	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
3.	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., नलवा.	1331/31-03-2003	सनावद	832/29-06-2016	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.
4.	नर्मदा मत्स्य सह. संस्था मर्या., बिराली.	1439/29-08-2005	सनावद	874/02-07-2016	श्री एच. सी. यादव, उप-अंकेक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(756-F)

खरगौन, दिनांक 27 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70 (1) के अंतर्गत]

आदेश में वर्णित प्रारूप अनुसार सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र समितियों के अकार्यशील होने, अंकेक्षण में लगातार तीन वर्षों से “डी” वर्ग प्राप्त होने, समितियों द्वारा अधिनियमों एवं नियमों के पालन न करने से एवं समितियों के संचालक मण्डल द्वारा समिति के कार्यों में रुचि न लेने से जारी किया गया था। जारी सूचना-पत्र की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी संस्था की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्था को प्रेषित कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है एवं सूचना-पत्र के आरोप स्वीकार हैं।

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रारूप में उल्लेखित निम्नांकित सहकारी समितियों को इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ।

समितियों की नियमानुसार परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-70 (1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	नाम संरक्षा	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	तहसील	जारी सूचना-पत्र क्रमांक व दिनांक	नियुक्त परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5	6
1.	दुर्घ उत्पा. सह. समिति मर्या., झापडी.	1455/21-10-2005	महेश्वर	874/02-07-2016	श्री कैलाश वास्केल, व. सहकारी निरीक्षक.
2.	श्री बालाजी प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., मण्डलेश्वर.	1676/05-12-2012	महेश्वर	896/12-07-2016	श्री कैलाश वास्केल, व. सहकारी निरीक्षक.
3.	श्री साईं बालाजी बीज उत्पा. सह. संस्था, मण्डलेश्वर.	1672/26-11-2012	महेश्वर	896/12-07-2016	श्री कैलाश वास्केल, व. सहकारी निरीक्षक.
4.	वैष्णवी प्राथ. सह. उप. भण्डार मर्या., मण्डलेश्वर.	1513/05-05-2007	महेश्वर	896/12-07-2016	श्री कैलाश वास्केल, व. सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 27 अगस्त, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

बी. एस. अलावा,
(756-G) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 04 अक्टूबर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./पुन./2016/1004.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/567, दिनांक 26 जुलाई, 2014 द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोंडर खापा, पंजीयन क्रमांक 1496, दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था। कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2014/567, दिनांक 26 जुलाई, 2014 के द्वारा श्री राजेश वडयालकर, स. नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 15 जून, 2016 को आमसभा ली गई। जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है। परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई। तदानुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोंडर खापा का अस्तित्व में रहना आवश्यक है।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./2014/567, दिनांक 26 जुलाई, 2014 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निवाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कोंडर खापा का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करता हूँ—

- श्री नारायण सूर्यवंशी अध्यक्ष
- श्रीमति सोमती बाई सूर्यवंशी उपाध्यक्ष
- श्री दिनेश सूर्यवंशी संचालक
- श्री लक्ष्मणसिंह सिसोदिया संचालक
- श्री पंडरीलाल सूर्यवंशी संचालक
- श्री धूलू जी धुर्वे संचालक
- श्री गजानन्द सूर्यवंशी संचालक
- श्री जगन लाल पाल संचालक
- श्रीमति सुभद्रा बाई संचालक

यह आदेश आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. व्ही. सोरते,
(758) उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर, 2016-कार्तिक 6, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 जुलाई, 2016

1. मौसम एवं वर्षा--राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है।-

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक--तहसील अम्बाह, कैलारस (मुरैना), लहार, मिहोनारेन (भिण्ड), ग्वालियर, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), जैसिंगनगर (शहडोल), श्यामगढ़ (मंदसौर), महिदपुर (उज्जैन), शुजालपुर (शाजापुर), धरमपुरी (धार), बड़वाह, महेश्वर, भगवानपुरा, झिरन्या (खरगौन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक--तहसील जौरा, सबलगढ़ (मुरैना), विजयपुर (श्योपुर), भिण्ड (भिण्ड), निवाड़ी (टीकमगढ़), बीना (सागर), जैतहरी (अनूपपुर), गरोठ, धुन्धड़का (मंदसौर), गोगांव, कसरावद, भीकनगांव (खरगौन), जावर (सीहोर), हरदा, टिमरनी (हरदा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक--तहसील श्योपुर (श्योपुर), डबरा (ग्वालियर), पृथ्वीपुर, ओरछा (टीकमगढ़), बड़ामलहरा (छतरपुर), गोहपारु, जैतपुर (शहडोल), अनूपपुर (अनूपपुर), सुबासराटप्पा, भानपुरा, सीतामऊ, कयामपुर (मंदसौर), उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), कालापीपल (शाजापुर), सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), डही (धार), खरगौन (खरगौन), बुरहानपुर, खकनार (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा (सीहोर), कुर्ई (सिवनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक--तहसील मुरैना (मुरैना), कराहल (श्योपुर), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, नरवर, करैरा, पोहरी, बद्रवास (शिवपुरी), मुंगावली, ईसागढ़, अशोकनगर, चन्द्रेरी (अशोकनगर), गुना, राघोगढ़, बमौरी, आगोन, चांचौडा, कुम्भराज (गुना), जतारा, टीकमगढ़ वल्देवगढ़, पलेरा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, विजावर, बकस्वाहा (छतरपुर), पन्ना, गुनौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), राहतगढ़, केसली (सागर), हटा, दमोह, जबेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगांव, रामपुर बघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, सिरमोर, मऊगंज, हुजूर, गुढ़, रायपुरकर्चुलियान (रीवा), सोहागपुर, ब्योहारी,

बुढ़ार (शहडोल), कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), सिंहावल, कुसमी, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), मल्हरगढ़, मंदसौर, संजीत (मंदसौर), खाचरौद, तराना, घटिया (उज्जैन), जोवट, अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा, च. शेखर आ. नगर (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, कुक्षी, मनावर, गंधवानी (धार), सेगांव (खरगौन), पंधाना, पुनासा, हरसूद (खंडवा), नेपानगर (बुरहानपुर), श्यामपुर, इच्छावर, नसरुल्लागंज, रहटी, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गैरतगंज, गोहरगंज, बेरेली, सिलवानी, उदयपुरा, बाड़ी (रायसेन), सिवनी-मालवा, होशंगाबाद, बावई, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया (होशंगाबाद), खिड़किया (हरदा), सीहोरा, मंझोली, कुंडम (जबलपुर), गाड़रवाड़ा, करेली, गोटेगांव (नरसिंहपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मंडला, घुघरी, नारायणगंज (मंडला), छिन्दवाड़ा जुनारदेव, परासिया, तामिया, सोंसर, पांदुना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हरई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी, केवलारी, लखनादौन, बरधाट, घंसौर, घनौरा, छपरा (सिवनी), बालाघाट, लांजी, बेहर, परसवाड़ा, वारासिवनी, खैरलांजी, कटंगी, लालबर्रा, किरनापुर, बिरसा (बालाघाट)में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ड.) 245.0 मि. मी. से 450.0 मि. मी. तक.- तहसील कोलारस (शिवपुरी), अजयगढ़ (पना), खुरई, सागर, रहली, देवरी, गढ़ाकोटा, मालथोन (सागर), बटियागढ़, पथरिया, तेन्दूखेड़ा (दमोह), रामनगर (सतना), हनुमना (रीवा), गोपदबनास, मंझोली (सीधी), खंडवा (खंडवा), बेगमगंज (रायसेन), वनखेड़ा, पचमढ़ी (होशंगाबाद), पाटन, जबलपुर (जबलपुर), नरसिंहपुर, तेन्दूखेड़ा (नरसिंहपुर)में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ट) 450.1 मि. मी. से अधिकतम.- तहसील बंडा, शाहगढ़ (सागर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.- जिला श्योपुर, ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, सिवनी व बालाघाट में जुताई एवं धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.- जिला धार में फसल सोयाबीन, मक्का व मुरैना, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, पना, सागर, दमोह, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, उज्जैन, इन्दौर, खरगौन, भोपाल, सीहोर, रायसेन, छिन्दवाड़ा व सिवनी में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति-

5. कटाई.-

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, झाबुआ, बुरहानपुर, सीहोर, सिवनी व बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 जुलाई, 2016

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुखरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस	8.0 .. 73.2 23.0 34.0 15.0				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	51 162 20.2				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मैहगांव 5. लहार 6. मिहोना } 7. रैन	.. 23.0 6.2 9.0				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. ..	7. .. 8. ..
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव	05 38.0 5.0 5.0				
5. जिला दत्तिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दत्तिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. कैरेरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रबास	181.0 153.0 75.0 163.0 124.3 290.0 153.0 230.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, अधिक. उड़द, गन्ना, गेहूं, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्रपी 5. शाढ़ौरा	201.0 226.0 151.0 178.0 ..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरोन 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज	238.5 162.0 232.0 227.0 109.0 133.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेश 7. ओरछा	22.0 50.2 65.0 78.0 156.0 108.0 39.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहारा 8. बक्सवाहा	153.0 210.0 61.8 143.1 90.8 53.2 44.6 227.2				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. परवई 5. शाहनगर	264.4 242.0 201.0 209.0 121.0				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. 4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़	33.9 317.7 492.7 309.4 302.0 381.0 348.4 220.2 191.8 364.4 562.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. बोनी व रोपाई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) सोयाबीन, धान, अरहर, उड़द ज्वार, मूंग, मक्का, तिल समान (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. पर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	224 283.9 226 417 150 285.8 150				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7... 8. पर्याप्त।
1. रघुराजनगर 2. मझगांव 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	192.7 154.0 151.0 188.0 187.0 156.0 299.0 173.0 165.0				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है।	3. 4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक गेहूँ कम। मसूर, अलसी, अरहर समान。 (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकचुलियान	93.0 82.6 203.8 272.6 123.3 112.7 77.3				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. सोहागपुर 2. झौहारी 3. बुढ़ार 4. जैसिंहनगर 5. गोहपारु 6. जैतपुर	72.0 195.0 106.2 10.0 51.0 51.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन कम। (2) ..	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	34.3 45.9 76.4 73.7				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) मक्का, धान समान। (2) उपरोक्त फसलें समान।	5. अपर्याप्त। 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. पर्याप्त। 8. पर्याप्त।
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	143.2 81.0 182.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है।	3. कोई घटना नहीं। 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का कम। (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त।	7. .. 8. पर्याप्त।
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	249.4 151.6 290.6 79.0 216.4 55.8				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. *जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. चितरंगी .. 2. देवसर .. 3. सिंगरौली ..					
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा 48.4 2. भानपुरा 36.8 3. मल्हरगढ़ 71.0 4. गरोठ 33.3 5. मंदसौर 65.0 6. श्यामगढ़ 9.0 7. सीतामऊ 48.8 8. धुंधड़क्का 23.0 9. संजीत 64.0 10. कयामपुर 44.0					
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जावद .. 2. नीमच .. 3. मनासा ..					
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा .. 2. आलोट .. 3. सैलाना .. 4. बाजना .. 5. पिपलोदा .. 6. रत्लाम ..					
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद 86.0 2. महिदपुर 13.0 3. तराना 58.0 4. घटिया 55.0 5. उज्जैन 35.0 6. बड़नगर 44.6 7. नागदा 45.0					
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़ौद .. 2. सुसनेर .. 3. नलखेड़ा .. 4. आगर ..					
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मोहम्मद बड़ोदिया .. 2. शाजापुर .. 3. शुजालपुर 8.0 4. कालापीपल 37.0 5. गुलाना ..					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकछु 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव				
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, सोयाबीन, कपास, मूँगफली, उड़द, अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावट 4. झाबुआ 5. राणापुर				
29. जिला अलीराजपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोंडवा 5. च. शेखर आ. नगर 6. उदयगढ़	126.3 107.8 129.1 41 59.7 40.3				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुच्छी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	80.2 59.0 81.3 88.6 56.0 4.0 70.0 47.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. देपालपुर 2. सांवर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)				
32. जिला खरगोन :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगोन 5. गोगांव 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या	13.0 3.8 62.8 38.2 27.0 19.8 16.2 32.0 7.3				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. *जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, कपास, धान, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	246.0				
2. पंधाना	58.3				
3. पुनासा	109.2				
4. हरसूद	102.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	46.0				
2. खाकनार	44.0				
3. नेपानगर	74.0				
36. *जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
* 2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	37.3				
2. श्यामपुर	147.7				
3. आष्टा	50.0				
4. जावर	26.8				
5. इछावर	159.0				
6. नसरूल्लागंज	108.0				
7. रेहटी	118.2				
8. बुधनी	86.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. रायसेन	217.2				
2. गैरतगंज	194.6				
3. बेगमगंज	261.2				
4. गोहरगंज	137.0				
5. बरेली	241.6				
6. सिलवानी	195.2				
7. बाड़ी	239.5				
8. उदयपुरा	188.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसरेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	111.2				
2. होशंगाबाद	77.8				
3. बावई	98.0				
4. इटारसी	91.6				
5. सोहागपुर	202.0				
6. पिपरिया	180.8				
7. बनखेड़ी	306.0				
8. पचमढ़ी	325.4				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	21.2				
2. खिड़किया	125.8				
3. टिमरनी	34.8				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	163.8				
2. पाटन	247.0				
3. जबलपुर	284.8				
4. मझोली	197.9				
5. कुण्डम	214.8				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराधोगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाड़गावा 2. करेली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेगांव 5. तेंदूखेड़ा	142.0 174.0 362.0 80.0 256.0				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	109.1 114.2 187.1 162.0 81.3 149.0				
48. *जिला डिणडोरी :	मिलीमीटर		3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. डिणडोरी 2. शाहपुरा				
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पार्दुणा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. बिछुआ 10. हरई 11. मोहखेड़ा	126.5 197.6 122.7 178.0 148.3 89.5 114.2 95.8 171.2 165.1 148.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादेव 4. बरघाट 5. उरई 6. घंसर 7. घनोरा 8. छपारा	141.20 212.60 220.20 174.80 40.0 186.0 235.70 221.30				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. बैहर 4. परसवाड़ा 5. वारासिवनी 6. खैरलांजी 7. कटंगी 8. लालबर्रा 9. किरनपुर 10. बिरसा	119.2 79.4 122.5 115.8 81.5 54.5 96.5 121.0 103.3 154.5				

टीप.-*जिला सिंगरौली, नीमच, आगर, बड़वानी, राजगढ़, डिणडोरी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

सुहेल अली,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.